


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर से चयनित व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) इतिहास विषय के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-15/2017 दिनांक 22.06.2017, 27.09.2017, 29.09.2017 के द्वारा नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन किया जाकर आदेशानुसार निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण किये जाने हेतु पाबन्द किया गया। कतिपय प्रकरणों में संस्थाप्रधान स्तर से शाला दर्पण पोर्टल पर कतिपय व्याख्याता-इतिहास के कार्यग्रहण अपडेट नहीं किये जाने के कारण से निर्धारित दिनांक तक पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने पर 166 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/नियुक्ति-इतिहास/पीएससी-15 /2017 दिनांक 31.10.2017 द्वारा निरस्त किये गये थे। जबकि निम्नांकित व्याख्याता- इतिहास द्वारा उनके नाम के आगे अंकित विद्यालय में ऑफ लाइन कार्यग्रहण, कार्मिकों की आई.डी. नहीं बनने के कारण शाला दर्पण पोर्टल पर ऑन लाइन कार्यग्रहण नहीं होने एवं क्रम संख्या 03 कोर्ट प्रकरण से कार्यग्रहण होने के कारण से निम्नांकित अभ्यर्थी उनके नाम के आगे अंकितानुसार विद्यालयों में कार्यरत होने के कारण से निम्नांकित कार्मिकों के नाम निरस्त किये गये आदेश से एतद द्वारा प्रत्याहरित किया जाते है-

क्रम	सूची क्रसं	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण दिनांक
01	20	नेहा राठौड़ मेरिट 908	नरपत सिंह	11.01.1979	GENF	मनोहरपुरा- शाहपुरा जयपुर	02.10.17 मध्याह्न पश्चात्
02	23	राजेन्द्र पाल सिंह मेरिट 321	डूंगरसिंह	05.07.1983	GEMM	शिवपुरा- सोजत- पाली	06.10.17
03	157	सुमन मीणा मेरिट 1931	भंवर लाल मीणा	30.05.1986	STF	पांचौली- सिकराय- दौसा	16.11.17



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 26.8.19

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/RPSC-15/इतिहास/2017  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिकों के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनटरिंग करें।
6. संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
7. सम्बन्धित कार्मिक/अनुभाग अधिकारी-सी-8/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर